

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	सोलर पम्प
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	सुलभ एवं सस्ती सिंचाई हेतु ऐसे पंजीकृत कृषकों जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं है। इस योजनान्तर्गत 2 एच0पी0, 3 एच0पी0 सोलर पम्पों पर 70 प्रतिशत तथा 5 एच0पी0 सोलर पम्पों पर मूल्य का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाइट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।